बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक "आर्थिक हल, युवाओं को बल" के अधीन गड़हरा, बरौनी(बेगुसराय) में एजेंसी नूतन कला केन्द्र के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 05010055 का संचालन किया जा रहा है । दिनांक-15 फरवरी, 2019 को जिला कौशल प्रबंधक, बेगुसराय के द्वारा बरौनी प्रखण्ड अवस्थित नूतन कला केन्द्र के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 05010055 का औचक निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण के पश्चात अपना जाँच प्रतिवेदन बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराया गया । अपने जाँच प्रतिवेदन में उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि नूतन कला केन्द्र के इस प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 05010055 के जाँच हेतु जब वे लैब में पहुँचे तो उनके द्वारा पाया गया कि एक Learning facilitator सुश्री निधि कृति के द्वारा दिसम्बर,2018 बैच के एक प्रशिक्षणार्थी श्री अविनाश कुमार, जो इस समय केन्द्र या लैब में उपस्थित नहीं थे, का सेशन पूरा किया जा रहा था । इसी प्रकार एक अन्य प्रशिक्षणार्थी श्री संजीव कुमार जो दिसम्बर, 2018 बैच के प्रशिक्षणार्थी हैं, तथा वे जाँच के समय केन्द्र पर उपस्थित नहीं थे, का सेशन अक्टूबर बैच की अन्य प्रशिक्षणार्थी सुश्री पूजा कुमारी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा था । जिला कौशल प्रबंधक, बेगुसराय के द्वारा सुश्री निधि कृति तथा सुश्री पूजा कुमारी का लिखित बयान भी अपने जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया गया ।

जिला कौशल प्रबंधक, बेगुसराय के जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सुश्री पूजा कुमारी के लिखित बयान में यह उल्लेखित है कि वे अक्टूबर, 2018 बैच की प्रशिक्षणार्थी रहीं हैं तथा उन्हें केन्द्र प्रबंधक श्री राजीव सर ने रखा है । वे दिसम्बर बैच के प्रशिक्षणार्थी श्री संजीव कुमार का सेशन कर रहीं थीं , क्योंकि वे केन्द्र पर नहीं आये थे तथा यह कार्य वो किसी स्वदेश सर के कहने पर कर रहीं हैं । सुश्री निधि कृति के द्वारा अपने लिखित बयान में यह स्वीकार किया गया है कि वे इस केन्द्र की Learning facilitator हैं, श्री अविनाश कुमार दिसम्बर बैच का प्रशिक्षाणार्थी हैं, वह आज आया था लेकिन कुछ जरूरी कार्य से केन्द्र से चला गया तथा वे उसका सेशन पूर्ण कर रही थी । जिला कौशल प्रबंधक के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन तथा सुश्री निधि कृति एवं सुश्री पूजा कुमारी के बयान के साथ इन दोनों Learning facilitator का लैपटॉप पर बैठकर सेशन पूर्ण करते हुए छाया चित्र(फोटो) भी संलग्न किया गया है ।

सुश्री निधि कृति तथा सुश्री पूजा कुमारी के लिखित बयान तथा जिला कौशल प्रबंधक के द्वारा उपलब्ध कराये गये छाया चित्र(फोटो) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नूतन कला केन्द्र के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 05010055 पर Learning facilitators के द्वारा कतिपय प्रशिक्षणार्थियों का Finger impression अपने Finger impression के साथ Configure करते हुए अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण का सत्र पूर्ण किया जाता है । अतः नूतन कला केन्द्र के बरौनी प्रखण्ड अवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 05010055 पर पायी गयी इस गंभीर अनियमितता के लिए बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या-447 दिनांक-11.4.2019 के द्वारा एजेंसी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा अपने पत्र संख्या-27 दिनांक-18.4.2019 के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । अपने स्पष्टीकरण में सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि KYP code 05010055 पर पायी गयी अनियमितता के लिए उनके द्वारा इस केन्द्र के सभी Learning facilitators से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । Learning facilitator सुश्री निधि कृति एवं पंकज कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने की स्थिति में उन्हें पुनः स्मारित किया गया तथा उन्हें Learning facilitator के पद से हटाने की सूचना दी गयी ।

अपने स्पष्टीकरण में सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक-27.2.2019 को Learning facilitator सुश्री निधि कृति के द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें सुश्री निधि कृति ने जिला कौशल प्रबंधक द्वारा लगाये गये आरोपों को असत्य बताया है । स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि सुश्री निधि कृति के द्वारा उन्हें बताया गया कि अक्सर कोई न कोई Learner बिना Logout किये निकल जाते हैं तथा निरीक्षण के समय भी एक Learner बिना सेशन Logout किये हीं निकल गये थे, जिसका सेशन वह Logout कर रहीं थीं, लेकिन उसी समय District Skill Manager लैब रूम में पहुँचे तथा उनपर इसतरह का आरोप लगाये । District Skill Manager के द्वारा Biometric device पर उनके सभी दस उंगलियों का सत्यापन किया गया तथा उसे सही पाया गया ।

अपने स्पष्टीकरण में सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि सुश्री निधि कृति के द्वारा उन्हें बताया गया है कि उसी समय अक्टूबर, 2018 बैच की एक Learner सुश्री पूजा कुमारी अपना रिजल्ट देखने आयीं थी तथा वे भी लैब में बैठी थीं, जिसपर भी District Skills Manager के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया गया है । District Skills Manager के द्वारा सुश्री पूजा कुमारी के भी सभी 10 उंगलियों का सत्यापन Biometric deviceपर उसी समय किया गया तथा उसे सही पाया गया । स्पष्टीकरण में सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि सुश्री निधि कृति ने उन्हें बताया है कि District Skills Manager ने उनलोगों पर दवाब बनाकर वैसी बातें सादे कागज पर लिखने को मजबूर किया जो सत्य नहीं है । स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि सुश्री निधि कृति के द्वारा इस बात की सूचना तत्काल केन्द्र प्रबंधक श्री पंकज कुमार को दी गयी थी । सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा सुश्री निधि कृति के लिखित बयान दिनांक-27.2.2019 की प्रति तथा सुश्री पूजा कुमारी के लिखित बयान दिनांक-17.2.2019 की प्रति को अपने स्पष्टीकरण के साथ संलग्न किया गया है ।

सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया गया है कि उनकी संस्था के द्वारा सुश्री निधि कृति एवं सुश्री पूजा कुमारी के दोनों हाँथो के सभी उंगलियों का Biometric deviceपर सत्यापन कराया गया है तथा उसे सही पाया गया है । स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया गया है कि BSDM के निदेशानुसार अगस्त, 2018 में तत्कालीन DLC बेगुसराय के समक्ष KYP code 05010055 के सभी Learning facilitator के Finger impression का रजिस्ट्रेशन किया गया था तथा एक बार Finger impression के रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी केन्द्र द्वारा उसमें छेड़छाड़ किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है । District Skills Manager के द्वारा भी पूर्व में Learning facilitator तथा Learner के Finger print को Biometric deviceपर सत्यापन किया गया है । अतःDistrict Skills Manager के द्वारा लगाया गया आरोप सत्य प्रतीत नहीं होता है । यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि Finger impression को एक बार register करने के पश्चात उसमें छेड़छाड़, reset कर किया जाना संभव है ।

अपने स्पष्टीकरण में सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा यह कहा गया है कि Cluster Manager से प्राप्त सुझाव के आलोक में उनके द्वारा सभी Learning facilitator को Solar login से हटा दिया गया है तथा केन्द्र प्रबंधक के पद से श्री पंकज कुमार को हटाकर मो० आसिफ को मनोनित कर दिया गया है । अंत में अपने स्पष्टीकरण में सचिव, नूतन कला केन्द्र के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उनकी संस्था बिहार कौशल विकास मिशन से प्राप्त दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का वचन देती है । भूलवश या अज्ञानतावश किसी Learning facilitator से अगर कोई त्रुटि हुई है तो संस्था इसके लिए क्षमा प्रार्थी है तथा यह वचन देती है कि BSDM से प्राप्त दिशा निर्देश का केन्द्र पर अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा ।

सचिव, नूतन कला केन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं है । अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा यह कहा गया है कि District Skill Manager के द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन दुराग्रह से ग्रसित है । अपने स्पष्टीकरण के साथ उनके द्वारा सुश्री निधि

कृति एवं सुश्री पूजा कुमारी का लिखित बयान भी संलग्न किया गया है, जिसमें उनके द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि District Skills Manager बेगुसराय के द्वारा सादे कागज पर इनसे दवाब बनाकर गलत स्वीकारोक्ति प्राप्त की गयी है । सुश्री निधि कृति के द्वारा सचिव, नूतन कला केन्द्र को दिया गया यह बयान दिनांक-27.2.2019 का है तथा सुश्री पूजा कुमारी के द्वारा दिया गया बयान दिनांक-17.2.2019 का है, जबकि District Skills Manager के द्वारा इन दोनों लोगों का बयान दिनांक-15.2.2019 को लिया गया है तथा उसे बिहार कौशल विकास मिशन को भेजा गया है । इन दोनों कर्मियों के द्वारा अपने सचिव को दिया गया बयान विरोधाभासी है, जिसे अनियमित कार्य में पकड़े जाने के पश्चात केन्द्र से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के दिमाग की उपज मानी जा सकती है । यदि District Skills Manager बेगुसराय के द्वारा दवाब बनाकर इसतरह का कोई प्रतिवेदन लिखाया गया तो नूतन कला केन्द्र को अविलंब इसकी सूचना बिहार कौशल विकास मिशन को देनी चाहिए थी, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तथा बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से स्पष्टीकरण पूछे जाने के पश्चात सुश्री निधि कृति एवं सुश्री पूजा कुमारी का लिखित बयान प्राप्त कर बिहार कौशल विकास मिशन को भेजा गया, जो यह स्थापित करता है कि इस केन्द्र पर की गयी अनियमितता को छुपाने के उद्देश्य से एक मनगढ़ंत कहानी बनायी गयी है ।

सुश्री निधि कृति तथा सुश्री पूजा कुमारी के द्वारा सचिव, नूतन कला केन्द्र को लिखित बयान बाद की तिथियों में दिनांक-27.2.2019 तथा दिनांक-17.2.2019 को दिया गया है, जबकि इन दोनों कर्मियों के द्वारा जिला कौशल प्रबंधक, बेगुसराय को अपना लिखित बयान दिनांक-15.2.2019 को दिया गया है । सचिव, नूतन कला केन्द्र को दिये गये लिखित बयान में इन दोनों कर्मियों के द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने इस घटना की सूचना श्री पंकज कुमार, प्रबंधक को उसी समय दी थीं, जबकि सुश्री निधि कृति तथा सुश्री पूजा कुमारी के द्वारा जिला कौशल प्रबंधक को दिये गये बयान का सत्यापन श्री पंकज कुमार के द्वारा किया गया है तथा यह प्रतिवेदन जिला कौशल प्रबंधक के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में संलग्न किया गया है । जिला कौशल प्रबंधक के जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न सुश्री पूजा कुमारी के बयान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उन्हें श्री राजीव सर ने केन्द्र पर रखा है तथा वे श्री संजीव कुमार का सेशन श्री स्वदेश सर के कहने पर कर रहीं थीं जो आज नहीं आया था । जबकि इनके द्वारा सचिव, नूतन कला केन्द्र को दिये गये अपने बयान में यह कहा गया है कि वे अक्टूबर बैच की प्रशिक्षणार्थी हैं तथा वे केन्द्र पर अपना प्रमाण पत्र लेने आयीं थी । स्पष्ट है कि सुश्री पूजा कुमारी के द्वारा सचिव, नूतन कला केन्द्र तथा जिला कौशल प्रबंधक, बेगुसराय को दिया गया लिखित बयान विरोधाभासी है तथा उनके द्वारा सचिव, नूतन कला केन्द्र को दिये गये बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । यह भी उल्लेखनीय है कि नूतन कला केन्द्र का Domain skilling के तहत स्वयंसेवी संस्था आनन्द के नाम से भी एक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा था तथा इस संस्था की सचिव भी श्रीमती इन्दुभूषण सिंह हीं हैं । स्वयंसेवी संस्था आनन्द के द्वारा संचालित Domain skilling के केन्द्र को Franchisee mode में श्रीमती सुमन शर्मा को 70:30% के आधार पर सौंपते हुए एक एकरारनामा भी हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें गवाह के रूप में श्री राजीव कुमार सिंह का हस्ताक्षर पाया गया है तथा जिसके आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के आदेश ज्ञापांक-161 दिनांक-18.2.2019 के द्वारा Franchisee mode में संचालन के प्रमाणित आरोपों के लिए इस केन्द्र को श्रीमती सुमन शर्मा के साथ विनियमित किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्री राजीव कुमार सिंह , सचिव श्रीमती इन्दुभूषण सिंह के पति हैं ।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त सचिव, नूतन कला केन्द्र से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है तथा गढ़हरा, बरौनी(बेगुसराय) में नूतन कला केन्द्र के द्वारा संचालित कुशल युवा प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 05010055 के पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए इस केन्द्र को स्थायी रूप से बंद किया जाता है । Team Leader, MKCL श्री अनुपम नारेखेड़े को आदेश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से KYP code 05010055 के पंजीकरण को निरस्त कर दें तथा इस

केन्द्र के दिसम्बर, 2018 बैच के 2 प्रशिक्षणार्थी श्री संजीव कुमार तथा श्री अविनाश कुमार तथा अक्टूबर बैच की प्रशिक्षणार्थी सुश्री पूजा कुमारी के कुशल युवा कार्यक्रम के प्रमाण पत्र को, यदि उनके द्वारा परीक्षा में सम्मलित होकर उत्तीर्णता प्राप्त कर ली गयी हो, तो उसे रद्द कर दें । उन्हें यह भी आदेश दिया जाता है कि इस केन्द्र पर नामांकित अन्य सभी प्रशिक्षणार्थियों को जिनकी परीक्षा अभी आयोजित नहीं हुई है, उन्हें विमुक्त कर दें ताकि वे नये सिरे से किसी अन्य केन्द्र पर नामांकन कराकर कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें । प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे विमुक्त किये गये प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त सुरक्षित जमा की राशि को अविलंब उनके बैंक खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दें ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक– BSDM/SDM-18/2017- (खंड–1)-566 दिनांक-21/05/2019

प्रतिलिपि – 1. सचिव, नूतन कला केन्द्र, गड़हरा, बरौनी(बेगुसराय) KYP code 05010055 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2.श्री अनुपम नारखेड़े, Team Leader, MKCL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3.प्रबंधक(वित्त)बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकरी/मिशन निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी/प्रबंधक कार्यक्रम क्रियान्वयन, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.जिला पदाधिकारी,बेगुसराय/जिला नियोजन पदाधिकारी,बेगुसराय/जिला कौशल प्रबंधक, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6.. Project Director, SPMU /श्री रत्नदीप सिंह, मैनेजर MIS & Monitoring, SPMU /श्री रमण कुमार, मैनेजर SPMU / प्रभारी SPMU बेगुसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/5/19
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।